Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 4, March-2019, ISSN 2230-7540

आगरा जिले में सामाजिक पृष्ठभूमि और उपलब्ध की साहित्यिक समीक्षा

Sunita Singh*

Department of Sociology, Swami Vivekananda University, Sagar (MP)

सार – सम्बन्धित साहित्य से आशय उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एवं अभिलेखों का समावेश होता है, जिसके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण अध्ययन की रूप रेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। वस्तुतः सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के बिना अनुसंधानकर्ता का कार्य अधूरा है।

----------X----------

प्रस्तावना

इन सर्वेक्षणों और अध्ययनों से यह तथ्य सामने आ रहे हैं कि इन्टरनेट के उपयोगकर्ताओं में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं का अनुपात अधिक है इससे यह स्पष्ट है कि महिलाओं के पास एक्सेस की सुविधाएं अधिक है, औसतन सम्पन्न परिवारों की गृहणियों के पास इसका विकल्प होता है कि वे अपने घरेलू कार्यों में से समय बचाकर उसे कम्प्यूटर और इन्टरनेट सुविधाओं पर लगाए। विशेष रूप से तब जब घर के सदस्य किसी न किसी कार्य से घर के बाहर गए हुए हों। उनकी सुविधा के लिए ऐसी कई साइट भी हैं जो शिशुओं या नन्हे बच्चों के लिए को-आपरेटिव चाइल्ड केयरिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

इनकी सहायता से माताएं निश्चित होकर कम्प्यूटर पर समय दे सकती है। विकसित देशों में तो ऐसे टेली सेन्टर और नेट बेस्ड कम्प्यूनिटी सेन्टर काफी प्रचलित हो चुके हैं किन्तु महिलाओं की सक्रीय भूमिका सुनिश्चित कराने के लिए यह आवश्यक है कि उनका ऐसा कार्य समय निरापद और सुरक्षित बना रहे। यू.एन.डी.पी. ने इजिप्ट में ऐ ऐसे ही अभिनव पायलट प्रोजेक्ट को सहयोग दिया है। कम विकसित देशों में साइबर कैफे और किआस्को की संख्या में पयाप्त वृद्धि हुई है। दक्षिण भारत में इन्टरनेट उपयोगी दक्षताओं का प्रसार कम लागत में किया जा रहा है। इसमें टेली वर्किंग का उज्ज्वल भविष्य पनप रहा है। आठ भारतीय नगरों में किए गये सर्वेक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि बिना कामकाज वाली महिलाओं का 63 प्रतिशत इन कैफे के माध्यम से और 32 प्रतिशत महिलाएं अपने घरों से इन्टरनेट का उपयोग करती है इसके लिए विशेष रूप से कम आय, भाषा और साक्षरता की बाधाओं को समाप्त करने की आवश्यकता है। यह सर्वेक्षण स्पष्ट करते हैं कि कम्प्यूटरों के प्रसार से भारतीय ग्रामीण जनजीवन निश्चित रूप से उन्नत हुआ है। भारत के एम.एस. स्वामीनाथ रिसर्च फाउडेशन के एक नालेज सेन्टर प्रोजेक्ट ने पांडिचेरी के चार ग्रामों को कनेक्ट किया है जो तमिल भाषा में स्थानीय सूचना प्रणाली से आबद्ध है।

इससे कृषि जनित कार्य और उनकी मार्केटिंग को उन्नत स्वरूप मिला है। मेडिकल सुविधाओं तक पहुँचने में सुविधा हुई है। महिलाएं ही इन कम्प्यूटर केन्द्रों को आपरेट करती है। इसका एक और लाभ साक्षरता है जिससे इसके और अधिक प्रसार की सम्भावनाएं बढ़ रहीआन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के स्वःसहायता समूहों (एस.एच.जी.) के गठन से उनके उत्पादों की देश विदेश में इन्टरनेट के माध्यम से की जा रही मार्केटिंग को इतनी सफलता मिलती है कि अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी अपनी विक्रय क्षमताओं का अपने हितों में उपयोग किए जाने की पक्षधर बन गयी है। वहाँ की लगभग 60 लाख महिलाएं इन समूहों की सदस्य हैं

जो निरन्तर लाभ अर्जित कर रही हैं। इसके साथ ही वे अनुकरणीय कर्जदार भी हैं जिन्होंने अब तक लिए 20 करोड़ रुपयों के ऋणों का 98 प्रतिशत निश्चित समय अवधि में भुगतान कर उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसा अन्यत्र सम्भव नहीं हो पाता परिणाम स्वरूप वहाँ कर्ज देने वाले बैंकों में प्रतिस्पर्धा है। क्योंकि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की

www.ignited.in

इस प्रकार वापसी अन्यत्र सम्भव नहीं है। इंग्लैण्ड के वर्मिघम शहर में हाईस्पीड इन्टरनेट एक्सेस सुविधा से अनेक गरीब महिलाओं के जीवन में सम्पन्नता आई है।

महिलाओं के लिए स्वरोजगार की अवधारणा अत्यधिक लाभप्रद है। क्योंकि इससे एक तो उनको मातृत्व का दायित्व निभा पाने में परेशानी नहीं होती और दूसरा यह कि वे अपने घरों में ही रहकर काम-काज के समय मेंसे अपनी सुविधानुसार परिवर्तन कर सकती है। इस सम्बन्ध में किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि अमेरिका, कैनेडा, मैक्सिको और अर्जेन्टीना की महिलाओं में घर बैठे ऐसे स्वरोजगार की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। अतः महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सशक्तीकरण में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराये जाएं और ऐसा तभी सम्भव है जब विभिन्न संगठन अपने हित में महिलाओं की दक्षता का सार्थक सदुपयोग करे।

सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के उद्देश्य:

सम्बन्धित शोध साहित्य को उद्देश्यों के दृष्टिकोण से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है-

- तुलनात्मक आंकड़ों को प्राप्त करने व उनके विश्लेषण में सहायक होता है।
- सम्बन्धित साहित्य की पूरी प्रक्रिया की योजना तैयार करने का लक्ष्य।
- तथ्य संकलन करने तथा विश्लेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का लक्ष्य।
- विफलताओं के विरूद्ध सुरक्षात्मक उपाय निश्चित करने का साधन।
- समस्या के समाधान हेतु अनुसंधान की समुचित विधि का सुझाव देता है।
- तथ्यों के सही आंकलन में सहायता प्रदान करता है।
- सम्बन्धित साहित्य का गहन अध्ययन, अनुसंधान के ज्ञान कोष की वृद्धि करता है।

सम्बन्धित साहित्य सर्वेक्षण के कार्य:

सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के मुख्य रूप में निम्नलिखित पांच कार्य हैं -

- यह अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। प्रत्येक प्रत्यय और धारणा को स्पष्ट करता है।
- इसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या क्षेत्र में अनुसंधान स्थिति क्या है? इसके ज्ञान द्वारा अपने अध्ययन की योजना बनाना सरल हो जाता है।
- सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण अनुसंधान के लिये अपनायी जाने वाली विधि, प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरण तथा आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाली उपयुक्त विधियों को स्पष्ट करता है।
- यह इस बात का भी आभास देता है कि किया गया अनुसंधान कार्य किस सीमा तक सफल हो सकेगा और प्राप्त निष्कर्षों की उपयोगिता क्या होगी?

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन की उपयोगिता:

गुड, बार तथा स्केट्स ने सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण की उपयोगिता की चर्चा करते हुए लिखा है-

(अ) सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से अनुसंधानकर्ताओं को निम्नलिखित जानकारी होती है-

- अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि की
- सिद्धान्त, व्याख्याओं, प्रत्यय व धारणाओं की
- उद्देश्य एवं परिकल्पनाओं के निर्माण सम्बन्धी जानकारी
- समस्या के अनुसंधान से संबंधित विधि की
- उपकरण, न्यादर्श, संग्रहित आंकड़ों के विश्लेषण की
- उपयुक्त तकनीक एवं सांख्यिकी की

(ब) यह शोधकर्ता के अनावश्यक श्रम और समय की बचत करता है।

(स) यह अनुसंधानकर्ता को त्रुटियों से बचाता है एवं सावधान रखता है।

www.ignited.in

(द) व्यक्तित्व की दृष्टि से शोधकर्ता में अनुसंधान सम्बन्धी दक्षता एवं कुशलता का विकास करता है।

(य) समस्या के सीमांकन में सहायक होता है।

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के स्रोत:

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन स्रोत को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं-

(1) प्रत्यक्ष या प्राथमिक स्रोत प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत निम्निलिखित साहित्य का समावेश है-

(i) पत्रिकाओं में उपलब्ध सामयिक साहित्य।

(ii) एक ही विषय की निबंध पुस्तिकायें, वार्षिक पुस्तकें, ग्रन्थ तथा बुलेटिन।

(iii) लघु शोध तथा अन्य शोध प्रबन्ध।

(iv) अन्य विविध स्रोत जैसे- शासन के शिक्षा पर प्रशासन।

(2) अप्रत्यक्ष या सहायक स्रोत-

(i) शिक्षा के विश्व ज्ञान कोष

(ii) शिक्षा सची पत्र

(iii) शिक्षा सार

(iv) सन्दर्भ ग्रन्थ सची एवं निर्देशिकाएं

(v) जीवन गाथा सम्बन्धं सदंर्भ

(vi) उदारण स्रोत इन सभी सीमाओ को ध्यान में रखते हुए हर अनुसंधानकर्ता के लिए सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण का विशेष महत्त्व है, बिना साहित्य सर्वेक्षण के हर शोध कार्य अधूरा है।

प्रस्तुत शोध से संबंधित अध्ययन:

प्रस्तुत शोध समस्या से सम्बन्धित, कार्यशील महिलाओं की कार्य-दबाव-ग्रस्तता, उनकी शैक्षणिक योग्यता, कार्यस्थल के वातावरण एवं सामाजिक आर्थिक स्तर से सम्बन्धित शोध-कार्यों एवं विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में उपलब्ध साहित्य की संछिप्त विवचेना निम्नवत् है-

होता, एस. (1990) ने काम काजी महिलाओं का स्वयं के प्रति प्रत्यक्षीकरण, वातावरण, कार्य संतुष्टि तथा जीवन संतुष्टि के सन्दर्भ में अध्ययन किया। अपने शोध अध्ययन में उन्होनें पाया कि कुशल कार्यकर्ता का अकुशल कार्यकर्ता की तुलना में स्वप्रत्यय सकारात्मक होता है। उपमन्या, कल्पना (1991) ने कामकाजी तथा गैर कामकाजी महिलाओ के वैवाहिक सामंजस्य का कुछ मनो सामाजिक कारकों के सन्दर्भ में अध्ययन किया। निष्कर्ष के रूप मे इन्होंने पाया कि गैर-कामकाजी (घरलू) महिलाओ की तुलना मे कामकाजी महिलाओं का तनाव-स्तर व अवसाद-स्तर कम होता है। घरलू महिलायें, कामकाजी महिलाओं की अपेक्षा अधिक कठोर होती हैं।

शर्मा (1999) महिला एवं कार्य के अन्तर्गत इन्होंने माना कि महिला एवं कार्य का एक अतिरिक्त पहलू है घर एवं परिवार। फलतः महिलाओं को बहुआयामी भूमिकाओं एवं मांगों को निपटाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। उनकी राय में महिलाओं के पारिवारिक कारणों एवं बच्चों की देखभाल करने के कारण उनके व्यवसाय पर बुरा असर पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि महिलाओं को विभिन्न भूमिकाओं में दबाव एवं संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी उन्हें परिवार के लिए अपने कैरियर को भी छोड़ना पड़ना है। अपने पुरूष साथियों की अपेक्षा इनकी पदोन्नति देरी से होती है, कम वेतन मिलता है तथा कम परिलाभ प्राप्त होते हैं। मुखोपाध्याय, लिपि (1999) "कार्यशील महिलाओं के जीवन में तनाव और सामंजस्य प्रवृति-सामाजिक व मनोवैज्ञानिक स्थितियों के मध्य संबधों का विश्लेषण और उनका महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव" उपर्युक्त अध्ययन में लिपि ने 45 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के प्रशासक और प्रबंधकों को लिया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि कार्य-दबाव-ग्रस्तता के विभिन्न स्रोत होते हैं जैसे-संस्था, संगठन एवं वातावरण, सगंठन में भूमिका, अन्तर्वैयक्तिक सबंध कार्य एवं गृह हस्तक्षेप, कार्यदबाव कम या अधिक एवं अपर्याप्त सहयोग अथवा पहचान इत्यादि। हुसैन और इस्लाम (1999), अन्य अध्ययन हुसैन (2000) ने क्यू. डब्ल. एल. (Quality of work life) तथा कार्य संतुष्टि में सकारात्मक संबंध पाया। इन्होंने बांग्लादेश के सरकारी अस्पताल की नर्सों के कार्य संतुष्टि पर अध्ययन किया था लेकिन अन्य अध्ययन में हुसैन ने यह निष्कर्ष निकाला की सार्वजनिक बैंकों में कार्यरत् महिलाएँ जो अच्छी स्थिति में हैं, मे निजी उपक्रमों के बैंकों में कार्यरत् लोगों की अपेक्षा अपने कार्य से अधिक संतुष्ट हैं।

www.ignited.in

क्रिस्टोफर, ऐ. जे. (2001) ने विवाहित कार्यशील महिलाओं का भूमिका संतुष्टि एवं भूमिका अन्तद्र्वन्द के संदर्भ में अध्ययन में पाया कि अधिकतम महिलाओं में परिवार तथा कार्य-स्थल पर भूमिका संतुष्टि की मात्रा अधिक है तथा तुलनात्मक रूप से बहुत कम भूमिका अंतर्द्वंद उन्हें प्रभावित करता हैं।

लेक, स्नेल पैरी और साथी (कार्यशील महिला सर्वे 2002) ने कार्यस्थल पर महिलाओं पर होने वाले दबाव को तथा कानून द्वारा उसे निपटने को अपने सर्वे का आधार बनाया। इन्होंने विभिन्न पारियों (chedule) में काम करने वाली महिलाओं से सर्वे के अन्तर्गत पाया कि वे अपने पुरूष साथियों से अधिक लम्बे समय तक कार्य कर सकती हैं, लेकिन इसके बदले में वे पारिवारिक क्षमता (trengt) और कानूनी सुरक्षा साथ ही कार्य में पारदर्शिता चाहती हैं। सर्वे में यह भी स्पष्टतया सामने आया कि कार्यशील महिलाएं अपने पुरूष साथियों की तरह सेवा निवृति और पारिश्रमिक भी चाहती हैं अर्थात् जो बराबरी नहीं है, वह समाप्त करना चाहती हैं।

पाण्डे सरला और देव, राखी (2003) ने उच्च माध्यमिक विद्यालय की विवाहित और अविवाहित महिला अध्यापिका शिक्षण सस्ंथाओं के तुलनात्मक अध्ययन में पाया कि विवाहित और अविवाहित महिला अध्यापिकाओं की कार्यानुभव व शिक्षण समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। आयु व शिक्षण समस्याओं में भी सार्थक अन्तर नहीं है। शैक्षिक योग्यता और शिक्षण समस्याओं में भी कोई सार्थक अन्तर नहीं है। विवाहित और अविवाहितों के शैक्षिक अनुभव और शिक्षा समस्या में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। लेकिन फिर भी कार्यशील विवाहित महिलाओं में अविवाहित महिलाओं की अपेक्षा समस्याएँ हैं। शैक्षिक क्रियाएं भी व्यावसायिक समस्याओं पर प्रभाव डालती हैं। कार्यस्थल पर निदेशक और सहयोगियों का व्यवहार भी असहयोगी होता है, जिससे महिलाओं के लिए विभिन्न समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, जैसे अधिक कार्यभार, पदोन्नति के अवसर नहीं होना अथवा कम होना, आवागमन की कोई सुविधा नहीं होना या नैतिक दबाव आदि।

घासी, विजयालक्ष्मी (2004) इन्होंने महाविद्यालय में कार्यरत् महिला व्याख्याताओं की कार्यदबाव-ग्रस्तता का कुछ चरों के सम्बंध में अध्ययन हेतु 15 प्रोफेसर, 20 रीडर, 97 व्याख्याता और 88 जूनियर व्याख्याता कुल 220 महिला व्याख्याताओं का चयन किया और परिणाम निकाला कि डिग्री कॉलेजों में कार्यरत् शिक्षिकाओं में दबाव ग्रस्तता प्रोफेसर के रूप में कार्यरत् शिक्षिकाओं की तुलना में कम पाई गई। महिला महाविद्यालय में कार्यरत् व्याख्याताओं में दबावग्रस्तता सहशैक्षिक सस्ंथाओं में कार्यरत् व्याख्याताओं की तुलना में अधिक है। निजी संस्थाओं में कार्यरत् शिक्षिकाओ में दबाव-ग्रस्तता सरकारी संस्थाओं में कार्यरत् शिक्षिकाओं की अपेक्षा अधिक पाई गई। मिश्रा, के. एस. (2004) ने प्राथमिक अध्यापकों के कार्यदबाव का निम्न उद्देश्यों के आधार पर शोध अध्ययन किया-

1. निजी और सरकारी अध्यापकों में तुलना
2. पुरूष और महिला प्राथमिक अध्यापकों में तुलना
3. अप्रशिक्षित एवं प्रशिक्षितों में तुलना
4. अलग-अलग योग्यता में क्या अलग-अलग तनाव होता है, और निष्कर्ष निकाला कि सरकारी अध्यापकों में निजी अध्यापकों की तुलना में कार्य दबाव कम होता है, लेकिन महिला और पुरूष अध्यापकों के कार्यदबाव में कोई अन्तर नहीं है। मुख्य बात यह थी कि प्रशिक्षित अध्यापकों में कार्यदबाव अधिक होता है।

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित महिला श्रमिकों को आकर्षक मजदूरी, पांच दिन का सप्ताह, बेहतर प्रोत्साहन और आरामदायक कामकाजी दशा के कारण उच्च स्तर की प्रवेश पूर्व प्रेरणा मिलती है। इन सकारात्मक कारकों ने सूचना प्रौद्योगिकी नौकरियों से जुड़े नकारात्मक कारकों को कम महत्वपूर्ण बना दिया है। योगदान के संदर्भ में, महिला श्रमिक न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई हैं, बल्कि अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों का दावा करने में भी सक्षम हैं। यह दोनों सदस्यों के रूप में और अपनी शैक्षिक प्राप्ति, व्यवसाय क्षमता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता का दावा करने के लिए नए जोश के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम व्यक्तियों के रूप में दोनों के रूप में बढ़ी हुई सामाजिक स्थिति के कारण संभव हुआ है।

अधिकांश कामकाजी महिलाओं के लिए काम और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने की चुनौती "मृगतृष्णा" बनी हुई है। हालाँकि महिला कार्यकर्ता लगातार अपनी स्वयं की और अन्य महिला श्रमिकों की अपेक्षाओं को बदलने के लिए स्वयं को पुनः अपनाने में लगी हुई हैं, फिर भी इस दिशा में 'ग्रे क्षेत्र' हैं। इस प्रकार, "परिवार के अनुकूल" मानव संसाधन नीतियों और प्रथाओं को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए महिला श्रमिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनने के लिए ओरिएंटेड नियोक्ताओं को जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध करने की आवश्यकता है, बल्कि

www.ignited.in

विशेष रूप से व्यावसायिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ऐसी नीतियों को सीमित करना।

उपसंहार

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की महिला श्रमिकों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पुनः मॉडलिंग करने में अन्य क्षेत्रों की महिलाओं की मदद करने की आवश्यकता है। यह इस संदर्भ में है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिला कार्यकर्ता सभी श्रेणी की महिला श्रमिकों के लिए "रोल मॉडल" बन सकती हैं। स्व-अभिकथन के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रयास भी हैं। यह आवश्यक है कि विशेष रूप से महिला कार्यकर्ताओं और सामान्य रूप से महिलाओं को सामान्य सामाजिक जनता के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने से पहले अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए अनुकूल रवैया विकसित करना होगा।

संदर्भ

1. ह्यूएर और सोफिया (2002), ''लीकी पाइपलाइनः विज्ञान में लिंग बाधाएं" इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पृष्ठ 37-38

2. ह्यूएर, सोफिया और तात्जाना (2003), ''लिंग डिजिटल डिवाइड पर काबू पानेः महिलाओं की आईसीटी संभावित सशक्तिकरण को समझना", इन्स्ट्रैड प्रकाशक, वाशिंगटन डीसी, पृष्ठ 47

3. कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि (2012), ''लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण'', नई दिल्ली।

4. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूरल स्टडीज (2013), आईसीटी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण", वॉल्यूम संख्याः 2, पीजी 5 से 7

5. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (1998), ''विश्व सम्मेलन के विकासशील देशों में लिंग और दूरसंचार नीति", वैलेटटा, पीजी 10-11

6. किरण प्रसाद (2007), ''संचार और सशक्तिकरण महिलाओं", दीप और दीप प्रकाशक, नई दिल्ली।

7. माही पाल (200 9), ''भारत में ग्राम सभा बैठकें: प्रक्रियाएं, परिणाम और परिप्रेक्ष्य" प्रशासन और प्रशासन जर्नल, ऑस्ट्रेलिया, पृष्ठ। 85।

8. मेहताजीजी (2002), ''पंचायत राज प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी", कनिस्का प्रकाशन, नई दिल्ली।

9. ग्रामीण विकास मंत्रालय (2012), ''आईसीटी और ग्रामीण विकास", नई दिल्ली।

10. माँ, कॉललीन और खान (2000), ''अफ्रीकी महिलाएं स्टॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशन, पीजी 43-44

11. नताशा प्राइम (2003), ''सूचना सोसाइटी में लिंग मुद्दे" यूनेस्को प्रकाशन, पीजी 92-94

12. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन (2011), ''भारत में महिलाओं की वर्तमान आर्थिक स्थिति का अवलोकन", नई दिल्ली।

Corresponding Author

Sunita Singh*

Department of Sociology, Swami Vivekananda University, Sagar (MP)